संख्या-10/2025/1846/78-2-2025-ई-252330

प्रेषक,

अर्जुन देव भारती,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
कानपुर, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 2025

विषय: उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि.(सहकारिता विभाग) के कार्यों एवं सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु आई.टी. पूल फण्ड से वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधनित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी:सॉफ्टवेयर:3108: 2024-25:806:1714 दिनांक 26-11-2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि.(सहकारिता विभाग) के कार्यों एवं सेवाओं को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु आई.टी. पूल फण्ड से वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 उद्योग (भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-21 आईटी पूल फण्ड की स्थापना-42 अन्य व्यय'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0-250.00 लाख में से अवशेष धनराशि में से आईटी पूल फण्ड की गाइड लाइन के सापेक्ष माइलस्टोन-4 एवं 5 के सापेक्ष कुल 40 प्रतिशत धनराशि रु0-19,45,572.00 (रुपये उन्नीस लाख पैतालीस हजार पांच सौ बहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

1. निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
4. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।
6. स्वीकृत धनराशि पर यदि कोई ब्याज आर्जित किया जाता है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।
7. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04-03-2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित विभाग / निगम द्वारा हार्डवेयर का क्रय नहीं किया जायेगा।
9. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी धनराशि से सम्बन्धित आकडों की शुद्धता सुनिश्चित करेगें।
10. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोग ''आईटी पूल फण्ड की गाइडलाइन'' एवं ई-गवर्नेन्स हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं भुगतान कार्यदायी संस्था को किये जाने से पूर्व उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 (पीसीएफ) से इस आशय से का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 (पीसीएफ) द्वारा अपने हिस्से के 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान यूपीएलसी को कर दिया गया है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रु0-19,45,572.00 (रुपये उन्नीस लाख पैतालीस हजार पांच सौ बहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-007 उद्योग (भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-21 आईटी पूल फण्ड की स्थापना-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
8. राज्य समन्वयक, सीईजी, लखनऊ।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
12. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
13. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।